न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 130/2022
जी.सी.एम.एस. नं. 2022/254

दायर दिनांक–05.07.2022

ढालचन्द पुत्र श्री नत्थू सिंह जाति जाट निवासी चारण की ढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– वादी

– बनाम –

भूमिधारक (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–प्रतिवादी

वकील वादीगण : श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रतिवादी : राज–पैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ
व नक्शा दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 21.11.2022

वादीगण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वादीगण राजस्व ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पूजारी की ढाणी की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 66 पुराना खाता संख्या 60 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 0.10 हैक्टर जो कि वादी व वादी के परिवार के अन्य लोगों की आवासीय गै.मु. बाड़ा की भूमि है। इस भूमि में वादी के अलावा वादी के परिवार के अन्य लोग भी खातेदार है।

वादी की भूमि खसरा नम्बर वर्तमान नम्बर 333 जिसके पुराने खसरा नम्बर 4387 व इसके पुराने खसरा नम्बर 3102 जो नजरिये नक्शे में दर्शित रासता डोटेड x स्थान से y स्थान तक सन् 1958 की नक्शा शीट में डोटेड–डोटेड दर्शित है व इसी डोटेड रास्ते से वादी व वादी का परिवार व अन्य खातेदारों का आना जाना है परन्तु नक्शा शीट 1979–80 वर्तमान नक्शा शीट में x स्थान से y स्थान तक डोटेड रास्ता नही दर्शाया गया है इसलिए वर्तमान नक्शा शीट में उक्त डोटेड रास्ता दर्शाने हेतु उक्त वादी पेश किया गया है।

उक्त डोटेड रास्ता ल स्थान से ग स्थान तक जो वर्तमान खसरा नम्बर की भूमि 338 जिसके पुराने खसरा नम्बर 4390 व इसके पुराने खसरा नम्बर 3106 थे उक्त भूमि मे से होते हुये कटाणशुदा रास्ता दर्शित किया गया है जो वर्तमान नक्शा शीट से राजस्व कर्मचारियों ने गायब कर दिया है व सन् 1979–1980 की नक्शा शीट में उक्त डोटेड नक्शा दर्शित नही है जबकि सन् 1958 की नक्शा शीट में बाकायदा वादी की खसरा नम्बर 333 तक दर्शित किया गया है जो आबादी की आवासीय बाडा है जिसमें वादी ने अपने मकान बना रखे है इसलिए प्रतिवादी वादी को अपने घर में आने जाने के लिए यह कहते है कि आपके घर तक कटाण शुदा रास्ता नही है इस कारण वादी को व वादी के परिवार को अपने घर तक आने में काफी परेशानी हो रही है। जिस नक्शा में डोटेड लाईन दर्शाई जाकर वर्तमान नक्शा शीट को दुरूस्त किया जाना उचित है।

वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है यदि नक्शा दुरूस्त नही होगा तो वादी को काफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में नही होगी। वादी को अपने कब्जे शुदा मकान से महरूम होना पडेगा इसलिए मौके पर वादी का कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

के अनुसार व पुराने नक्शा शीट के अनुसार व रिकार्ड के अनुसार नक्शा दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवदेन किया कि ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में सिथत खाता सख्या नया 66 पुराना खाता संख्या 60 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 0.10 हैक्टर जिसमें नजरी नक्शे के अनुसार x स्थान से y स्थान तक डोटेड–डोटेड रास्ता जिसके पुराने खसरा नम्बर 4387 व इसके पुराने खसरा नम्बर 3102 है तथा खसरा नम्बर 338 जिसके पुराने खसरा नम्बर 4390 से होते हुये खसरा नम्बर 337 के पूर्व उतर के कोने से वादी के पुरानी नक्शा शीट के अनुसार नई नकशा शीट में दर्शित किया जावे व उक्त आदेश की पालना के लिए प्रतिवादी नम्बर 1 को तहरीर जारी की जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादी के हक में पड़ती हो तो वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आये तथा राज पैरोकार से विवादित भूमि के संबंध में मोके व राजस्व रिकार्ड अनुसार तथ्यात्मक रिपोट चाही गई है। तहसीलदार नवलगढ अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मौके पर रास्ता नवलगढ– धोलाखेड़ा सड़क से प्रार्थी के खसरा नम्बर 338 तक खुला हुआ है व खसरा नम्बर 333 के पास तक ही है मगर खसरा नम्बर 337 व 338 के काश्तकारों ने खसरा संख्या 333 में जाने का रास्ता बंद किया हुआ है जो कि पूछताछ करने पर काश्तकारों ने बताया कि पूर्व में लगभग 30 से 40 वर्षो से रास्ता खुला हुआ था ओर अब लगभग 2 वर्षो से खसरा नम्बर 333 में रास्ता बन्द किया हुआ है पूर्व सम्वत् 1958 की नक्शा शीट में डोटेड रास्ता खसरा संख्या 333 तक रास्ता नक्शे में दर्शाया हुआ है। खसरा नम्बर 333 में जाने के लिए वर्तमान में रास्ता बंद किया हुआ है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं ढालचन्द पी. डब्ल्यू–1 उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये तथा अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या 76, प्रदर्श–3 जमाबंदी खाता संख्या 155 सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–4 नजरी नक्शा, प्रदर्श–5 नक्शा शीट सम्वत् 1979–80, प्रदर्श–6 नक्शा शीट सन् 1958 प्रदर्श–7 व 8 मिलान क्षैत्रफल आदि प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत वादी पेश होने बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा वाद वादी स्वीकार का रिकार्ड दुरुस्त करने का निवेदन किया गया। बहस वकील वादी का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पूजारी की ढाणी की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 66 पुराना खाता संख्या 60 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 0.10 हैक्टर जो कि वादी व वादी के परिवार के अन्य लोगों की आवासीय गै.मु. बाड़ा की भूमि है। इस भूमि में वादी के अलावा वादी के परिवार के [illegible] भी खातेदार है। जो कि जो प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 जमाबंदी [illegible] 76, प्रदर्श–3 जमाबंदी खाता संख्या 155 सम्वत् 2075–2078 [illegible] है। वादी की भूमि खसरा नम्बर वर्तमान नम्बर 333 जिसके पुराने खसरा नम्बर 4387 व इसके [illegible] खसरा नम्बर 3102 जो नजरिये नक्शे में दर्शित रास्ता डोटेड x स्थान से y स्थान तक सन् 1958 की नक्शा शीट में डोटेड–डोटेड दर्शित है व इसी डोटेड रास्ते से वादी व वादी का परिवार व अन्य खातेदारों का आना जाना है परन्तु नक्शा शीट 1979–80 वर्तमान नक्शा शीट में x स्थान से y स्थान तक डोटेड रास्ता नही दर्शाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का.दै.)
नवलगढ

है जो प्रदर्श–4 नजरी नक्शा, प्रदर्श–5 नक्शा शीट सम्वत् 1979–80, प्रदर्श–6 नक्शा शीट सन् 1958 वर्तमान नक्शा शीट में उक्त डोटेड रास्ता दर्शाने हेतु उक्त वादी पेश किया गया है।

उक्त डोटेड रास्ता y स्थान से x स्थान तक जो वर्तमान खसरा नम्बर की भूमि 338 जिसके पुराने खसरा नम्बर 4390 व इसके पुराने खसरा नम्बर 3106 थे उक्त भूमि मे से होते हुये कटाणशुदा रास्ता दर्शित किया गया है जो वर्तमान नक्शा शीट से गायब कर दिया है व सन् 1979–1980 की नक्शा शीट में उक्त डोटेड नक्शा दर्शित नही है जबकि सन् 1958 की नक्शा शीट में बाकायदा वादी की खसरा नम्बर 333 तक दर्शित किया गया है जो आबादी की आवासीय बाडा है जिसमें वादी ने अपने मकान बना रखे है। वादी घर तक कटाण शुदा रास्ता नही है इस कारण वादी को व वादी के परिवार को अपने घर तक आने में काफी पेरशानी होगी। नक्शा में डोटेड लाईन दर्शाई जाकर वर्तमान नक्शा शीट को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अगर नक्शा दुरूस्त नही होगा तो वादी को काफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी। वादी को अपने कब्जे शुदा मकान से महरूम होना पडेगा इसलिए मौके पर वादी का कब्जे के अनुसार व पुराने नक्शा शीट के अनुसार व रिकार्ड के अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादी अपने खातेदारी की भूमि में पूर्ववर्ती रिकार्ड अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा वाद–पत्र मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वादी पूर्णतया साबित पाया जाने पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलवरूप वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य पूर्णतया साबित पाये जाने पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में स्थित खाता सख्या नया 66 पुराना खाता संख्या 60 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 0.10 हैक्टर जिसमें नजरी नक्शे के अनुसार x स्थान से y स्थान तक डोटेड–डोटेड रास्ता जिसके पुराने खसरा नम्बर 4387 व इसके पुराने खसरा नम्बर 3102 है तथा खसरा नम्बर 338 जिसके पुराने खसरा नम्बर 4390 से होते हुये खसरा नम्बर 337 के पूर्व उतर के कोने से वादी के पुरानी नक्शा शीट के अनुसार नई नक्शा शीट में दर्शित करने के आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **21.11.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)

(सहायक कलेक्टर एवं ... ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुंझुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ
व नक्शा दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 130/2022 **(ढ़ालचन्द बनाम तहसीलदार नवलगढ)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21.11.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में स्थित खाता सख्या नया 66 पुराना खाता संख्या 60 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 0.10 हैक्टर जिसमें नजरी नक्शे के अनुसार x स्थान से y स्थान तक डोटेड–डोटेड रास्ता जिसके पुराने खसरा नम्बर 4387 व इसके पुराने खसरा नम्बर 3102 है तथा खसरा नम्बर 338 जिसके पुराने खसरा नम्बर 4390 से होते हुये खसरा नम्बर 337 के पूर्व उतर के कोने से वादी के पुरानी नक्शा शीट के अनुसार नई नक्शा शीट में दर्शित करने के आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.11.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.(फा.ट्रै.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	12.00
वकालतनामा स्टाम्प	47.00
स्टाम्प वजह सबूत	–
महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	10.00
कुल	69.00

मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00
	0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार (भू॰ अ॰) नवलगढ़

Reader

क्रं/भू.अ./2687

दिनांक 21.10.22

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(FT) नवलगढ़

विषय: – न्यायालय प्रकरण सं० 130/2022 उनवान ~~[illegible]~~ दालचन्द बनाम राजस्थान सरकार तहसीलदार नवलगढ़ में जबाव बावत।

संदर्भ: – आपके पत्रांक/राजस्व/2021/341 दिनांक 5.10.22 की पालना

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ मे निवेदन है कि न्यायालय प्रकरण संख्या 130/2022 उनवान दालचंद बनाम राजस्थान सरकार तहसीलदार नवलगढ़ के जबाब/रिपोर्ट बाबत पटवार हल्का पुजारी की ढाणी से जांच करवाकर श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम - परशरामपुरा
तहसील - उदयपुरवाटी
जिला - झुंझुनूं
राजस्थान
सन १९५८ (1958)
पैमाना १६" = १ मील

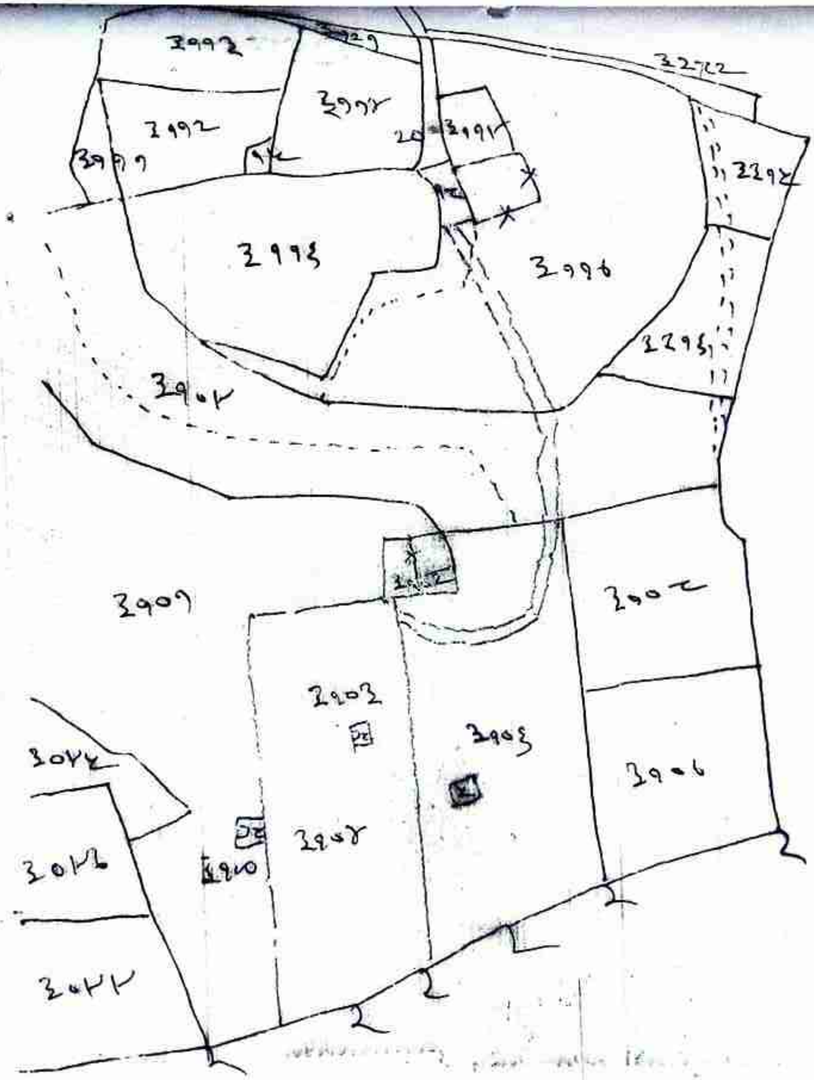

1 क्रमांक
2 प्रार्थना पत्र देने की दिनांक
3.
4.
7
8 ... कर्ता के हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्य प्रतिलिपि
सदर का...
झुंझुनूं

21.5.14

फर्द मौका

आज दिनांक 20-10-22 को प.म-पुजारी की ढाणी के राजस्व ग्राम चारण की ढाणी में श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला-झुन्झुनू के आदेश क्रमांक/राजस्व/2021 341 दिनांक 04/10/2022 व श्रीमान तहसीलदार (भू.अ) नवलगढ़ आदेश क्रमांक (भू.अ) 2389 दिनांक 12/10/2022 ~~दिनांक~~ की पालना में ग्राम-चारण की ढाणी के खसरा न० -333 के मौके पर पहुंचा मौके पर रास्ता नवलगढ़ - धोलाखेड़ा सड़क से प्रार्थी के खसरा संख्या 338 तक खुला हुआ है व खसरा न० 333 के पास तक ही है मगर खसरा संख्या 337 व 338 के काश्तकारो ने खसरा संख्या 333 में जाने का रास्ता बन्द किया हुआ है जो कि पूछताछ करने पर काश्तकारो ने बताया कि पूर्व के लगभग -30-40 वर्षो से रास्ता खुला हुआ था और अब लगभग 2 वर्षो से खसरा संख्या 333 में रास्ता बन्द किया हुआ है पूर्व जम्बत 1958 की नक्शा शिट मे डोहळ रास्ता खसरा संख्या 333 तक रास्ता नक्शे में दर्शाया हुआ है

जिसकी नकल संलग्न है खसरा संख्या 333 में जाने के लिए आज दिनांक रास्ता बन्द किया हुआ

फर्द मौका मौके पर बनाया व उपस्थित व्यक्तियो के हस्ताक्षर करवाये गये

रिपोर्ट श्रीमान जी कि सेवा मे पेश है।

संलग्न ⊕
① नक्शा शिट जम्बत - 1958
② नजरी नक्शा

20/10/2022
पटवारी पुजारी की ढाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका

नजरी नक्शा

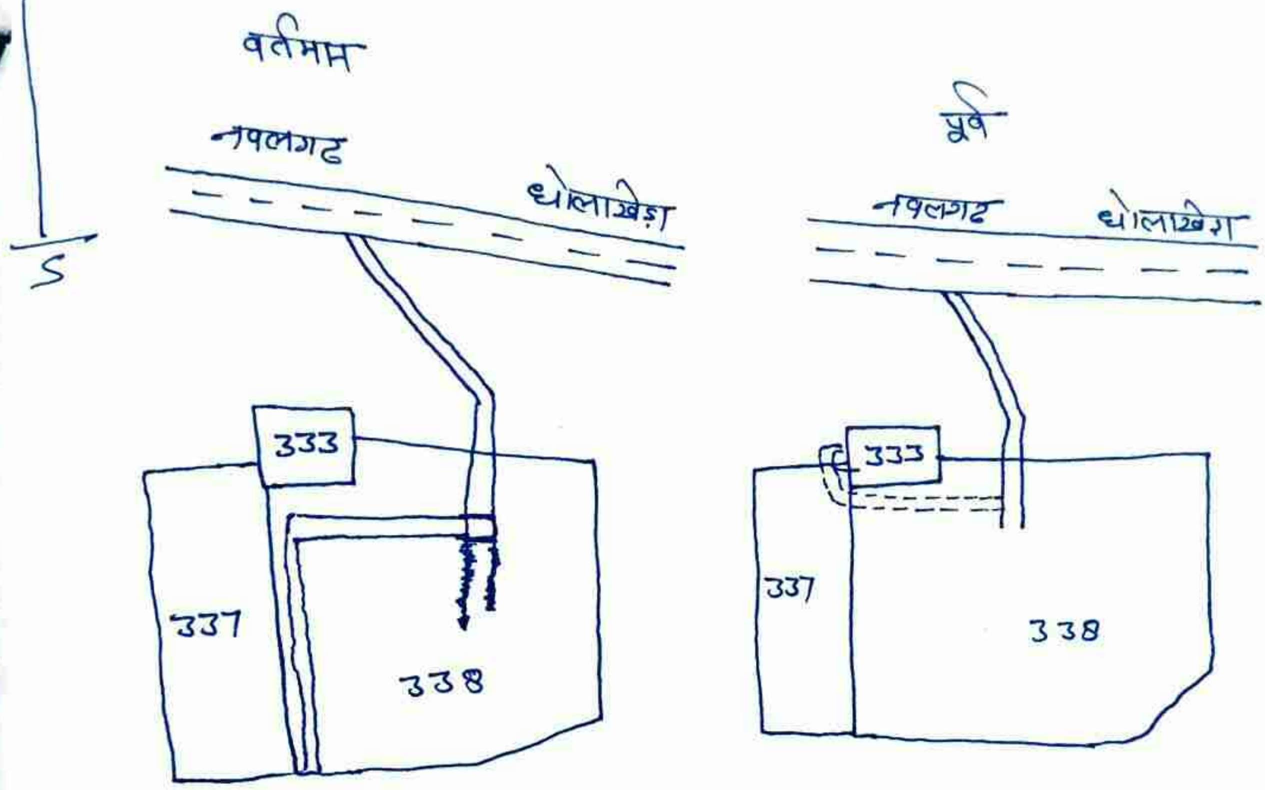

20/10/2022

पटवारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested